आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

बी. एस. वालिया के सामने , जे.

महेश कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादीगण 2017 का सी. डब्ल्यू. पी. No.29326

05 अप्रैल, 2019

भारत का संविधान, **1950**-कला।**226** और **227**-सहायक प्रोफेसर-याचिकाकर्ता के लिए उम्मीदवारी की अस्वीकृति-योग्य उम्मीदवार परिणाम के **15** दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने में विफल रहे-भर्ती के लिए विचार नहीं किया गया-प्रक्रियात्मक रूप से अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार करने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं-प्रक्रियात्मक आवश्यकता पर टिके रहने के लिए यूपीएससी-याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना गया कि वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है, जहां यूपीएससी द्वारा प्राप्त बहुत बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण, यदि इसे प्रक्रियात्मक रूप से अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इससे प्रणाली में बहुत अच्छी तरह से गिरावट आ सकती है।हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आवेदन या प्रतिवादीगण सभी उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं जो एल. एल. बी. की डिग्री और बार में तीन साल का अनुभव होने का दावा करते हैं। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वे विज्ञापन और डी. ए. एफ. की सामग्री को पूरी तरह से समझ गए थे। डी. ए. एफ. को सही ढंग से भरने के लिए उन पर एक कर्तव्य डाला गया था और उन्हें इस बात पर सहमत होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इसके बावजूद, उनका आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही वह अधूरा हो, क्योंकि प्रक्रिया न्याय की सहायक है।इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यूपीएससी ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने या गलत प्रारूप में दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण 45 व्यक्तियों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है।यदि हमारे समक्ष प्रतिवादीगणओं को कोई राहत दी जाती है, तो निश्चित रूप से अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों को भी इसी तरह की राहत देना उचित होगा, जिनमें से कुछ ने राहत के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं किया होगा।यदि यह अभ्यास किया जाना था, तो शायद पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता होगी।हमारी राय में यह न तो उन उम्मीदवारों के हित में है जिन्होंने अर्हता प्राप्त की है और न ही प्रतिवादीगण जैसे कुछ

व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए पूरी परीक्षा को रद्द करना जनहित में है।

(1) इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि अंग्रेजी विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज संवर्ग) के पद पर भर्ती के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा खारिज कर दिया गया था और आगे मंडमस के रूप में एक रिट जारी करने के लिए उत्तरदाताओं को अंग्रेजी विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज संवर्ग) के पद पर भर्ती के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश देते हुए विज्ञापन के जवाब में हड्डी-विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित चार रिक्तियों के खिलाफ हड्डी-विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध चार रिक्तियों के लिए प्रमाण पत्र के रूप में एक रिट जारी की जाए।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, जो अंग्रेजी विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज संवर्ग) के पद के लिए पूरी तरह से पात्र था, ने विज्ञापन अनुलग्नक पी/2 दिनांक 16.02.2016 के जवाब में आवेदन किया, जिसे शुद्धिपत्र अनुलग्नक पी/3 दिनांक 29.04.2016 के साथ पढ़ा गया था। उसी का परिणाम दिनांक 23.10.2017 के अनुलग्नक पी/6 के माध्यम से घोषित किया गया था। परिणाम अनुलग्नक पी/6 दिनांक 23.10.2017 के साथ संलग्न नोट में शर्त संख्या 1 के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी अपने प्रमाण पत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ आयोग के कार्यालय में सचिव, एच. पी. एस. सी., आधार संख्या 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा को पंजीकृत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत वितरण के माध्यम से 23.10.2017 से 15 दिनों के भीतर यानी परिणाम के प्रकाशन की तारीख (यानी 08.11.2017 05 तक) भेजना आवश्यक था। 00) अन्यथा, भर्ती के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे परिणाम की घोषणा के बारे में पता नहीं चला था, इसलिए वह निर्धारित अवधि के भीतर आयोग के कार्यालय में प्रमाण पत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। 764 से शुरू होने वाली विभिन्न तिथियों पर साक्षात्कार आयोजित किए गए थे

23.11.2017 01.12.2017 तक। याचिकाकर्ता को परिणाम की घोषणा के बारे में केवल ईमेल के माध्यम से 10.11.2017 दिनांकित अनुलग्नक पी/7 की प्राप्ति के साथ-साथ 16.11.2017 पर पोस्ट करने पर पता चला, जिसके बाद उसने आयोग को ही एक अभ्यावेदन दिया कि वह परिणाम की घोषणा से अनजान होने के कारण 08.11.2017 से पहले प्रमाणपत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी आयोग को नहीं भेज सकता है। याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज जमा करने और सहायक प्रोफेसर के पद पर

भर्ती के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने की अनुमति का अनुरोध किया।हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर 16.11.2017 दिनांकित अभ्यावेदन को संचार अनुलग्नक पी/10 दिनांकित 22.11.2017 के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण पत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा नहीं करने के कारण सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर, चयनित उम्मीदवारों का परिणाम 01.12.2017 पर अनुलग्नक पी/11 के माध्यम से घोषित किया गया था और इसे आयोग की वेबसाइट पर 01.12.2017 पर अपलोड किया गया था, इसके अलावा तीन अंग्रेजी और दो स्थानीय समाचार पत्रों में 02.12.2017 पर प्रकाशित किया गया था।

(3) विद्वान वकील का तर्क है कि परिणाम (अनुलग्नक पी/6) के साथ संलग्न नोट की शर्त संख्या 1 की आवश्यकता के अनुसार प्रमाण पत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने में असमर्थता पूरी तरह से अनजाने में और परिणाम की घोषणा की जानकारी के अभाव के कारण थी और इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, जो एक हड्डी विकलांग उम्मीदवार था, विशेष रूप से चार रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए।

(4) दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि परिणाम की घोषणा के बाद, खाली पदों को फिर से विज्ञापित किया गया था और याचिकाकर्ता के लिए इसके खिलाफ आवेदन करने के लिए हमेशा खुला था, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई राहत देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने में विफल रहने के कारण। विद्वान वकील ने रेखा में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ के फैसले पर भरोसा किया

जांगड़ा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1 जिसमें समान

1 2017 का सी. डब्ल्यू. पी. No.1379 महेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

परिस्थितियों में, एक उम्मीदवार द्वारा दायर रिट याचिका जो परिणाम की घोषणा से अनजान होने के कारण प्रमाण पत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं भेज सका, उसे खारिज कर दिया गया।

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है।

(6) मान लीजिए कि प्रतिवादीगण ने सहायक प्रोफेसर (कॉलेज संवर्ग) के पद के लिए भर्ती परीक्षा का परिणाम दिनांक

23.10.2017 के एक प्रेस नोट अनुलग्नक पी/6 के माध्यम से घोषित किया।परिणाम अनुलग्नक पी/6 दिनांक 23.10.2017 से जुड़े प्रेस नोट में शर्त संख्या 1 के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रमाण पत्रों/सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ आयोग के कार्यालय में सचिव, एच. पी. एस. सी., बेज No.1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा को पंजीकृत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत वितरण के माध्यम से 23.10.2017 से 15 दिनों के भीतर यानी परिणाम के प्रकाशन की तारीख (यानी 08.11.2017 तक 05:00) अन्यथा, भर्ती के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।इन परिस्थितियों में आयोग से इससे अधिक कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी।प्रतिवादीगण को परिणाम की घोषणा के बारे में प्रत्येक उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती थी, क्योंकि विज्ञापित पदों की संख्या बड़ी संख्या में थी और हजारों उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया होगा और लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए होंगे।रेखा जांगड़ा के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए खुशी व्यक्त की कि 'यह कानून के सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को परिणाम के बारे में या किसी भी आगे की आवश्यकता के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाना चाहिए।अन्यथा ऐसा करना जाँच निकायों पर एक असहनीय बोझ डालना होगा।यह भी याद नहीं किया जा सकता है कि समाचार पत्र में प्रकाशन भी सूचना देने का एक संतोषजनक तरीका है।इसी तरह के एक मामले में, माननीय

संघ लोक सेवा आयोग में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक अन्य बनाम दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और अन्य लिखित याचिका में

(सिविल) No.10058/2009, निम्नानुसार आयोजित 25.01.2010 पर निर्णय लिया गया:- "25. यू. पी. एस. सी. द्वारा इतनी बड़ी संख्या में डी. ए. एफ. प्राप्त होने के कारण, यह उम्मीद करना अव्यावहारिक है कि यू. पी. एस. सी. उन निर्देशों का पालन करेगा जिनका उसके द्वारा जारी विज्ञापनों में स्पष्ट और विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह कहना एक बात है कि प्रक्रिया न्याय की सहायक है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में 766 के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से मंजूरी देना एक अलग बात है।

कुछ लोगों को समायोजित करने के लिए।यदि ऐसा किया जाता है, तो किसी पर भी किसी भी प्रक्रिया का पालन करने का कोई दायित्व नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से असहनीय स्थिति पैदा हो।26. यदि प्रतिवादीगणओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति को एक बड़े कैनवास पर रखा जाता है (क्योंकि यूपीएससी सालाना ऐसी दर्जनों परीक्षाओं का आयोजन करता है), तो कोई भी इसके परिणामस्वरूप होने वाली अराजकता की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है।उदाहरण के लिए, यह सर्वविदित है कि यूपीएससी को केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए लाखों आवेदन प्राप्त

होते हैं। यदि ऐसा प्रत्येक आवेदक एक अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है कि आवेदन के साथ प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो यूपीएससी के लिए प्रसंस्करण समय में कई महीने लगेंगे और लंबे समय में, पूरी तरह से प्रतिकूल होगा। नतीजतन, हमारी राय में यह सच है कि प्रक्रिया न्याय की सहायक है, लेकिन किसी मामले में उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

27. वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है, जहां यूपीएससी द्वारा प्राप्त बहुत बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण, यदि इसे प्रक्रियात्मक रूप से अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इससे प्रणाली में बहुत अच्छी तरह से गिरावट आ सकती है। हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आवेदक/उत्तरदाता सभी उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं जो एल. एल. बी. की डिग्री और बार में तीन साल का अनुभव होने का दावा करते हैं। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वे विज्ञापनों और डी. ए. एफ. की सामग्री को पूरी तरह से समझ गए थे। डी. ए. एफ. को सही ढंग से भरने के लिए उन पर एक कर्तव्य डाला गया था और उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इसके बावजूद, उनका आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही वह अधूरा हो क्योंकि प्रक्रिया न्याय की सहायक है।

28. इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यूपीएससी ने आवश्यक दस्तावेज जमा न करने और/या गलत प्रारूप में दस्तावेज जमा न करने के कारण 45 व्यक्तियों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। यदि हमारे समक्ष प्रतिवादीगणओं को कोई राहत दी जाती है, तो निश्चित रूप से अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों को भी इसी तरह की राहत देना उचित होगा, जिनमें से कुछ ने राहत के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं किया होगा। यदि यह अभ्यास किया जाना था, तो महेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

शायद पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता होगी। हमारी राय में यह न तो उन उम्मीदवारों के हित में है जिन्होंने अर्हता प्राप्त की है और न ही प्रतिवादीगण जैसे कुछ व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए पूरी परीक्षा को रद्द करना जनहित में है। 29. इस मामले के तथ्य अद्वितीय हैं और हमारी राय है कि बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों और इसमें शामिल उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए, हमें यूपीएससी को प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से चिपके रहने की आवश्यकता का लाभ देना चाहिए।

(7) इसी तरह का विचार इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने भी लिया था

2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7229 में जिसका शीर्षक था मनोज कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य और 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. 7553 में जिसका शीर्षक था रिंकू और दूसरा बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा, जिसका शीर्षक था 24.04.2017।

(8) इसी तरह का विचार इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने भी लिया था

2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7229 में जिसका शीर्षक था मनोज कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य और 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. 7553 में जिसका शीर्षक था रिंकू और दूसरा बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा, जिसका शीर्षक था 24.04.2017।

शुभरीत कौर

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला

अनुवादक